RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
जुलाई
15
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

राज्य सभा के लिए सदस्यों का नामांकन / Nomination of Members to Rajya Sabha

संदर्भ:

भारत के राष्ट्रपति ने **राज्यसभा** के लिए चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को **नामित** किया है। इनमें शामिल हैं: पूर्व विदेश सचिव **हर्षवर्धन श्रृंगला**, वरिष्ठ अधिवक्ता **उज्ज्वल निकम**, सामाजिक कार्यकर्ता **सी. सदानंदन मास्टर**, और इतिहासकार **मीनाक्षी जैन**। इन नामांकनों का उद्देश्य राज्यसभा में विविध अनुभवों और विशेषज्ञताओं को शामिल कर नीतिनिर्माण को और समृद्ध बनाना है।

राज्यसभा में नामित सदस्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

संख्या और कार्यकाल:

- **संख्या**: भारत के राष्ट्रपति **12 सदस्यों** को राज्यसभा में नामित करते हैं।
- **कार्यकाल**: इनका कार्यकाल **6 वर्ष** का होता है।

नामांकन का उद्देश्य:

- यह प्रावधान **कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा** जैसे क्षेत्रों में **विशेष योगदान** देने वाले व्यक्तियों को **सम्मान** देने के लिए किया गया है।

संवैधानिक आधार:

- **अनुच्छेद 80(1)(a):** राष्ट्रपति को राज्यसभा में **12 सदस्यों के नामांकन** का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 80(3):** नामित सदस्य वे होंगे जिनके पास **विशेष ज्ञान** या **व्यावहारिक अनुभव** हो निम्नलिखित क्षेत्रों में:
  - साहित्य
  - विज्ञान
  - कला
  - समाज सेवा

अन्य संवैधानिक संदर्भ: **चौथी अनुसूची** और **अनुच्छेद 4(1)** के अंतर्गत राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, जिसमें नामित सदस्यों की व्यवस्था भी शामिल है।

राज्यसभा के नामित सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार

संसद में समान अधिकार:

- नामित सदस्य संसद की कार्यवाही में निर्वाचित सांसदों के समान सभी अधिकार, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा (immunities) प्राप्त करते हैं।

कार्यवाही में भागीदारी: ये सदस्य संसद की बहसों, चर्चाओं और संसदीय समितियों में पूरा भाग ले सकते हैं।

मतदान अधिकार (Voting Rights) में सीमाएँ:

- **राष्ट्रपति के चुनाव** में **मतदान नहीं कर सकते**।
- **उप-राष्ट्रपति के चुनाव** में **मतदान कर सकते हैं**।

राजनीतिक दल से जुड़ने का प्रावधान:

- **अनुच्छेद 99** के अनुसार, नामित सदस्य को किसी **राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए 6 महीने** की अवधि दी जाती है।

राज्यसभा की संरचना (Composition of the Rajya Sabha)

कुल सदस्य संख्या:

- **कुल 245 सदस्य**, जिनमें शामिल हैं:
  - **233 निर्वाचित सदस्य** – राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं (विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित)।
  - **12 नामित सदस्य** – राष्ट्रपति द्वारा नामांकित, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में विशेष योगदान के आधार पर चुना जाता है।

स्थायी निकाय (Permanent House):

- राज्यसभा एक **स्थायी सदन** है – इसे भंग नहीं किया जा सकता।

द्विवार्षिक सेवानिवृत्ति (Biennial Retirement):

- हर दो वर्ष में **एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त** होते हैं।
- सेवानिवृत्त सदस्यों की **भरपाई हेतु चुनाव** कराए जाते हैं।

केंद्र ने CAPFs में IPS की प्रतिनियुक्ति पर फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया / Centre Moves SC to Review Ruling on IPS Deputation in CAPFs

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने **सुप्रीम कोर्ट** के उस फैसले के खिलाफ **पुनर्विचार याचिका** दायर की है, जिसमें अदालत ने **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs)** में **भारतीय पुलिस सेवा (IPS)** अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति में "क्रमिक कमी" करने का निर्देश दिया था। सरकार का तर्क है कि यह फैसला **प्रशासनिक कार्यप्रणाली** और **राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र** को प्रभावित कर सकता है। यह याचिका **संघीय ढांचे और सेवाओं में संतुलन** से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला बन गई है।

CAPF कैडर बनाम IPS डिप्यूटेशन विवाद: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला (2025)

पृष्ठभूमि:

- **2015 में**, CAPFs (Central Armed Police Forces) के **Group A अधिकारियों** ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी:
  - **Non-Functional Financial Upgradation (NFFU)** की मांग।
  - कैडर समीक्षा (cadre review) और पुनर्गठन।
  - IPS अधिकारियों की डिप्यूटेशन समाप्त कर, आंतरिक प्रमोशन से **Senior Administrative Grade (SAG)** तक पदोन्नति की मांग।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ***Sanjay Prakash & Others vs Union of India (2025)***

- **CAPFs के Group A अधिकारियों को "Organised Services" माना जाएगा।**
- **Inspector General (IG)** रैंक तक IPS अधिकारियों की **डिप्यूटेशन दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त** की जाए।
- **उद्देश्य**:
  - CAPF कैडर अधिकारियों को न्यायोचित करियर ग्रोथ देना।
  - IPS अधिकारियों का अत्यधिक वर्चस्व समाप्त करना।

CAPFs की वर्तमान संरचना:

- शामिल बल:
  - **BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP**
- **गृह मंत्रालय** IPS और CAPF दोनों के लिए **कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी** है।
- सरकार का पक्ष:
  - IPS डिप्यूटेशन से बलों की **ऑपरेशनल तत्परता** बनी रहती है।
  - **केंद्र-राज्य समन्वय** मजबूत होता है।

वर्तमान आरक्षण व्यवस्था (DIG/IG के पदों पर):

- **20% DIG पद** और
- **50% IG पद** IPS अधिकारियों के लिए **आरक्षित**।

फैसले का प्रभाव:

- **CAPF अधिकारियों की पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे**।
- **IPS अधिकारियों की शीर्ष पदों पर नियुक्ति में भारी कटौती** होगी।
- **CAPF कैडर की आत्मनिर्भरता और मनोबल** को बल मिलेगा।

CAPFs में IPS नियुक्तियों को लेकर उठी चिंताएँ: न्याय, पदोन्नति और संगठनात्मक संरचना पर प्रभाव

1. करियर ग्रोथ में ठहराव

- **IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित उच्च पदों** के कारण, CAPF कैडर अधिकारियों को **प्रमोशन के मौके सीमित** मिलते हैं।
- **औसतन एक CAPF अधिकारी को कमांडेंट बनने में 25 वर्ष लगते हैं**, जबकि यह पद **13 वर्षों में मिल जाना चाहिए**।

2. संगठनात्मक अखंडता पर प्रभाव

- लगातार IPS अधिकारियों की डिप्यूटेशन से CAPFs की **स्वायत्तता कमजोर** होती है।
- इससे बलों के **दीर्घकालिक व्यावसायीकरण और पेशेवर पहचान** को नुकसान पहुँचता है।

3. कानूनी व प्रशासनिक असंगतियाँ

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा **CAPF Group A को Organised Services** माने जाने के बाद, सरकार पर अब ज़रूरी है कि वह:
  - **कैडर रिव्यू करे**
  - **भर्ती नियमों में संशोधन करे**
  - **NFFU (Non-Functional Financial Upgradation)** लागू करे
- यदि **संरचनात्मक बदलावों के बिना IPS नियुक्तियाँ जारी रहती हैं**, तो यह **प्रशासनिक रूप से असंगत और कानूनन संदिग्ध** मानी जाएगी।

4. प्राकृतिक न्याय और समानता का उल्लंघन

- **अनुच्छेद 14** (समानता का अधिकार) और **अनुच्छेद 16** (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) का उल्लंघन।
- CAPF कैडर अधिकारियों को **प्रमोशन में IPS अधिकारियों की तुलना में समान अवसर नहीं मिलते**, जो **संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ** है।

UGC की एंटी-रैगिंग प्रणाली पूरी तरह विफल: दिल्ली हाई कोर्ट / UGC's anti-ragging system has utterly failed, says Delhi High Court

संदर्भ:

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में **रैगिंग की बढ़ती घटनाओं** और **उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की मौत** को लेकर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे पर **स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका (PIL)** दायर कर सकता है। यह पहल ऐसे समय आई है जब **सुप्रीम कोर्ट** ने भी इस वर्ष **UGC के मौजूदा नियमों** पर सवाल उठाते हुए **कड़े कदमों की आवश्यकता** पर जोर दिया था।

रैगिंग पर सुप्रीम कोर्ट की 2025 की टिप्पणी और भारत में इससे जुड़ी स्थिति

सुप्रीम कोर्ट की 2025 की टिप्पणी

- **UGC की एंटी-रैगिंग नियमावली केवल कागजों तक सीमित** है – संस्थान केवल औपचारिकताएँ निभा रहे हैं (जैसे हलफनामे, पोस्टर), **वास्तविक कार्रवाई नहीं** होती।
- **छात्रों की मानसिक सेहत** को लेकर चिंता जताई और **नेशनल टास्क फोर्स के गठन** का निर्देश दिया गया।

भारत में रैगिंग: आंकड़े और सच्चाई

- **NCRB 2022 के अनुसार:**
  - **छात्र आत्महत्याएँ (7.6%) – 13,044 मामले**, जो किसानों और कृषि श्रमिकों की संयुक्त संख्या से अधिक हैं।
  - सर्वाधिक आत्महत्याएँ:
    - महाराष्ट्र (13.5%)
    - तमिलनाडु (10.9%)
    - मध्य प्रदेश (10.3%)
    - उत्तर प्रदेश (8.1%)

सरकारी प्रयास और न्यायिक हस्तक्षेप

- **Vishwa Jagriti Mission v. Central Govt. (2001):**
  - सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को दंडनीय अपराध माना और संस्थानों को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया।
- **Raghavan समिति (2007):**
  - सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति।
  - रैगिंग को **IPC के तहत आपराधिक अपराध** के रूप में दर्ज करने की सिफारिश की।
- **सुप्रीम कोर्ट निर्देश (2009):**
  - **24x7 हेल्पलाइन**,
  - **UGC द्वारा नियम निर्माण**,
  - **एंटी-रैगिंग कमिटी व स्क्वॉड**,
  - **राष्ट्रीय रैगिंग रोकथाम कार्यक्रम (NRPP)**: डेटा आधारित निगरानी और एनजीओ की मदद से स्वतंत्र मॉनिटरिंग।

UGC के उपाय

- **24x7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन हलफनामे।**
- **संस्थानों को फंड रोकने का अधिकार** यदि वे नियमों का पालन नहीं करते।
- **NGO भूमिका:** जैसे **SAVE**, जो रैगिंग के मामलों की निगरानी करते हैं और संस्थानों पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाते हैं।

रैगिंग क्यों जारी है? – मुख्य कारण

1. **सांस्कृतिक सोच:** रैगिंग को "राइट ऑफ पैसेज" माना जाता है – सीनियर्स इसे अपने अनुभवों के आधार पर उचित ठहराते हैं।
2. **नियमों का कमजोर क्रियान्वयन:**
   - कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देश **15 साल से कागजों तक सीमित** हैं।
   - संस्थाएँ शिकायतों को दबा देती हैं – **प्रतिष्ठा बचाने के लिए**।
3. **जानकारी और जागरूकता की कमी:** नए छात्रों को अपने अधिकारों और शिकायत प्रक्रिया की **जानकारी नहीं होती**।
4. **प्रणाली की गैर-जवाबदेही:** शिकायतों की **अधूरी या अपारदर्शी जांच**, पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता।
5. **कम अनुपालन:** पिछले 10 वर्षों में **सिर्फ 4.49% छात्रों** ने UGC को वार्षिक हलफनामा दिया (RTI डेटा)।

निष्कर्ष

रैगिंग के खिलाफ बनाए गए कानून और नीतियाँ **पर्याप्त हैं**, लेकिन **उनके निष्पादन की भारी कमी** है। सुप्रीम कोर्ट की 2025 की टिप्पणी यह साफ़ दिखाती है कि अब **संस्थानों को सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई करनी होगी**, विशेषकर छात्रों की **मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान की रक्षा** हेतु।

SO_2 के स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता पर प्रभाव / Effects of SO_2 on health and air quality

संदर्भ:

हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने ज्यादातर कोयला-आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को **फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) प्रणाली लगाने से **मुक्त कर दिया है**, जिससे **2015 के अनिवार्य नियम** को पलट दिया गया है। यह निर्णय **सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)** जैसे **हानिकारक वायु प्रदूषकों** को नियंत्रित करने के प्रयासों को **कमज़ोर** करता है और पर्यावरणीय सुरक्षा को लेकर **चिंता** बढ़ा रहा है।

क्या है FGD सिस्टम?

- **Flue Gas Desulphurisation (FGD)** एक वायु प्रदूषण नियंत्रण तकनीक है,
- जिसका उपयोग **थर्मल पावर प्लांट्स** में किया जाता है ताकि **सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)** को **फ्लू गैस** (कोयला या तेल जलने के बाद निकला उत्सर्जन) से हटाया जा सके।

FGD की आवश्यकता क्यों?

- **SO_2** एक हानिकारक गैस है जो:
  - **एसिड रेन** का कारण बनती है,
  - **श्वसन संबंधी बीमारियाँ** बढ़ाती है,
  - **पर्यावरणीय क्षरण** और **जनस्वास्थ्य खतरे** को जन्म देती है।
- भारत जैसे देशों में जहाँ **कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन** अधिक है, वहाँ FGD अत्यंत आवश्यक है।

FGD सिस्टम कैसे काम करता है?

- **वेट स्क्रबर तकनीक (Wet FGD)**:
  - सबसे आम तकनीक, जिसमें फ्लू गैस को **चूना पत्थर (Limestone) slurry** से गुजारा जाता है।
  - **SO_2 गैस**, चूने के साथ प्रतिक्रिया कर **कैल्शियम सल्फाइट या जिप्सम ($CaSO_4$)** बना लेती है।
- **ड्राई और सेमी-ड्राई सिस्टम** भी उपयोग में हैं, लेकिन इनकी क्षमता व लागत भिन्न होती है।

क्या है SO_2?

- **सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)** एक **रंगहीन, तीखी गंध वाली, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस** है।
- यह मुख्यत: **कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने** पर उत्सर्जित होती है।

SO_2 का स्रोत

- **थर्मल पावर प्लांट्स** (विशेषकर कोयला आधारित),
- **रिफाइनरी, इस्पात संयंत्र**,
- **ज्वालामुखी विस्फोट** (प्राकृतिक स्रोत),
- औद्योगिक प्रक्रियाएँ (जैसे खनिज शोधन और कागज निर्माण)

SO_2 के स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता पर प्रभाव

1. श्वसन स्वास्थ्य पर प्रभाव (Respiratory Health Impacts)

- **SO_2 श्वसन तंत्र को उत्तेजित करता है**, जिससे **खांसी, सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस** जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
- **बच्चों, बुज़ुर्गों और अस्थमा रोगियों** के लिए यह विशेष रूप से खतरनाक है।

2. PM2.5 कणों का निर्माण

- वायुमंडल में SO_2 **सल्फेट एयरोसोल में परिवर्तित हो जाता है**, जो **PM2.5** का प्रमुख घटक होता है।
- **PM2.5** बेहद महीन कण होते हैं जो फेफड़ों में गहराई तक पहुंचते हैं और **गंभीर श्वसन एवं हृदय रोग** का कारण बन सकते हैं।

3. दृश्यता में कमी और पारिस्थितिक क्षति

- SO_2 **धुंध (Haze)** और **एसिड रेन** का कारण बनता है।
- इससे **फसलें, मिट्टी और जल स्रोत** प्रभावित होते हैं – **मिट्टी की अम्लता** बढ़ जाती है जिससे कृषि उत्पादन घटता है।

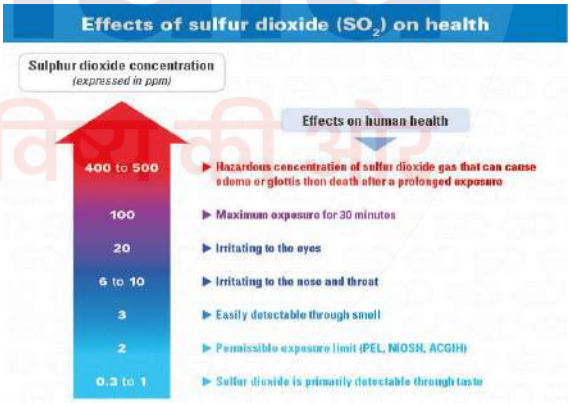

भारत और SO_2

- भारत **दुनिया का सबसे बड़ा SO_2 उत्सर्जक** है।
- इसका प्रमुख कारण है **कोयला-आधारित ऊर्जा उत्पादन** की उच्च निर्भरता।
- पर्यावरणीय एजेंसियाँ जैसे **CPCB** और **MoEFCC** इस पर नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश जारी कर चुकी हैं (जैसे FGD सिस्टम की अनिवार्यता)।

बराक घाटी / Barak Valley

संदर्भ:

दिल्ली के संसद सदस्य और असम प्रदेश कांग्रेस समिति (APCC) अध्यक्ष **गौरव गोगोई** ने हाल ही में **बराक वैली में बढ़ती कनेक्टिविटी संकट** को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से **तत्काल हस्तक्षेप** करने की **याचिका भेजी** है।

बराक घाटी (Barak Valley): असम का दक्षिणी क्षेत्रीय स्वरूप

भौगोलिक स्थिति

- **स्थान:** असम का दक्षिणी हिस्सा, **बराक नदी** के नाम पर आधारित।
- **जिले:** कछार (Cachar), हैलाकांडी (Hailakandi), और करीमगंज (Karimganj) – कुल मिलाकर असम के लगभग **9% भौगोलिक क्षेत्र** को कवर करते हैं।

सीमाएं

- **उत्तर में:** मेघालय
- **दक्षिण में:** मिज़ोरम
- **पूर्व में:** मणिपुर
- **पश्चिम में:** त्रिपुरा और बांग्लादेश का सिलहट डिवीजन

प्रमुख विशेषताएं

- **बराक नदी:** क्षेत्र की जीवनरेखा है, जिससे इसकी उपजाऊ भूमि और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
- **प्रमुख शहर: सिलचर** – यह न केवल प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि **शैक्षिक हब** भी है।

आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य

- **कृषि:** मुख्य आजीविका का साधन, चावल और चाय जैसे फसलें प्रमुख हैं।
- **सांस्कृतिक विविधता:** बंगाली भाषी बहुसंख्यक, साथ ही मणिपुरी, बिष्णुपुरी, कुकी-ज़ो जैसी जनजातीय भाषाओं और संस्कृतियों की उपस्थिति।
- **रणनीतिक महत्त्व:** बांग्लादेश की निकटता इसे **सीमा व्यापार और सुरक्षा** के लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण बनाती है।

भारत सऊदी अरब समझौता / india saudi arabia agreement

संदर्भ:

भारत की **तीन प्रमुख उर्वरक कंपनियों** - **इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL)**, **कृभको (KRIBHCO)** और **कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र लिमिटेड (CIL)** - ने **सऊदी अरब की माआदेन कंपनी** के साथ **दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते (MoUs)** पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौते की प्रमुख विशेषताएं

- **वार्षिक आपूर्ति**: वित्त वर्ष 2025-26 से हर साल **3.1 मिलियन मीट्रिक टन (MMT)** DAP उर्वरक की आपूर्ति।
- **समयावधि**: **5 वर्षों के लिए वैध**, और आपसी सहमति से **5 और वर्षों** के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- **आयात में वृद्धि**:
  - FY 2023-24: 1.6 MMT
  - FY 2024-25: 1.9 MMT
  - FY 2025-26: 3.1 MMT
- **अन्य उर्वरकों** (जैसे यूरिया और कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर्स) को लेकर भी चर्चाएं जारी।

समझौते का महत्व

- **दीर्घकालिक उर्वरक सुरक्षा** सुनिश्चित करता है, विशेषकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता के बीच।
- **भारत की रणनीतिक साझेदारी** को वेस्ट एशिया में मजबूत करता है।
- **उद्योग में आपसी निवेश को बढ़ावा**:
  - भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का सऊदी परियोजनाओं में निवेश
  - सऊदी निवेशकों का भारत में निवेश
- **भारत-केंद्रित अनुसंधान और नवाचार**:
  - उर्वरकों के वैकल्पिक और सतत समाधान
  - फसल-विशिष्ट पोषक तत्वों का विकास

निष्कर्ष: यह समझौता भारत की **खाद्य और कृषि सुरक्षा** के लिए एक **रणनीतिक उपलब्धि** है और भारत-सऊदी अरब साझेदारी को **नई ऊंचाइयों पर** ले जाता है।

जरवा जनजाति / jarawa tribe

संदर्भ:

2027 की जनगणना में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की छह प्रमुख आदिवासी जनजातियों, जिनमें जंगली जारवा जनजाति भी शामिल है, की गणना के विशेष प्रयास किए जाएंगे। यह पहल इन आदिवासी समुदायों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्ज करने उनके संरक्षण और कल्याण के लिए योजनाएं बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

जरवा जनजाति (Jarawas) –

- **जरवा जनजाति** विश्व की सबसे प्राचीन और जीवित आदिवासी जनजातियों में से एक है।
- ये पारंपरिक रूप से **नॉमेडिक हंटर-गैदरर्स** (घुमंतू शिकारी-संग्राहक) के रूप में **मध्य और दक्षिण अंडमान द्वीप समूह** के घने जंगलों में रहते हैं।
- ऐतिहासिक रूप से ये **बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण** रहे हैं और **1990 के दशक के अंत तक संपर्क से बचते थे**।
- ये आमतौर पर **40–50 लोगों के छोटे समूहों** में रहते हैं और **वन एवं समुद्री संसाधनों** पर निर्भर रहते हैं।

जनगणना एवं जनसंख्या आंकड़े

- **2011 की जनगणना** के अनुसार, **जरवा जनसंख्या 380** थी (अंडमान-निकोबार की कुल 28,530 अनुसूचित जनजातियों की आबादी में)।
- इस क्षेत्र की अन्य ST जनजातियाँ: **अंडमानीज़**, **निकोबारीज़**, **शोम्पेन**, **ओंगे**, **सेंटिनलीज़**
- इनमें से केवल **निकोबारीज़** को छोड़कर **सभी जनजातियाँ PVTG (अत्यंत संवेदनशील जनजातीय समूह)** के अंतर्गत आती हैं।

हालिया स्थिति (2025)

- **2025 के आधिकारिक अनुमानों** के अनुसार, **जरवा जनसंख्या बढ़कर 647** हो गई है।
    - इसका श्रेय **बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और मृत्यु दर में कमी** को दिया गया है।
- **PM-JANMAN योजना** (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत: अब तक **191 PVTG व्यक्तियों** की पहचान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **जरवा जनजाति की रक्षा और संरक्षण** के लिए विशेष कानून और सीमित संपर्क नीति लागू है।
- अंडमान ट्रंक रोड का निर्माण जरवा क्षेत्र के पास से होता है, जिससे **संस्कृति और जीवनशैली पर खतरा** बढ़ा है।
- जरवा समुदाय को आधुनिक संपर्क और हस्तक्षेप से बचाकर उनकी पारंपरिक जीवनशैली को संरक्षित करना एक बड़ी नीति चुनौती है।

तालिस्मन सेबर / Talisman Sabre 2025

संदर्भ:

13 जुलाई 2025 से शुरू हुए **Talisman Sabre 2025** सैन्य अभ्यास में **भारत सहित 19 देश** हिस्सा ले रहे हैं। यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास **रणनीतिक सहयोग**, **संयुक्त संचालन क्षमता**, और **सुरक्षा साझेदारी** को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। भारत की भागीदारी इस अभ्यास में उसके **वैश्विक रक्षा सहयोग** को और अधिक व्यापक बनाने की दिशा में एक अहम संकेत है।

Talisman Sabre 2025:

क्या है Talisman Sabre?

- **Talisman Sabre** ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें अब बहुराष्ट्रीय भागीदारी भी शामिल हो चुकी है।
- **2025 संस्करण** अभ्यास का अब तक का सबसे व्यापक रूप है।

भौगोलिक विस्तार

- **ऑस्ट्रेलिया के भीतर:** Queensland, Northern Territory, Western Australia, New South Wales, Christmas Island
- **ऑस्ट्रेलिया के बाहर:पहली बार** Papua New Guinea को भी गतिविधियों के स्थान के रूप में शामिल किया गया है।

प्रतिभागी देश (कुल 19)

- **मेज़बान:** ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका
- **अन्य भागीदार:** भारत, कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड्स, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा, यूनाइटेड किंगडम

निरीक्षक देश (Observer Nations) मलेशिया, वियतनाम

अभ्यास की प्रकृति

- **मुख्य गतिविधियाँ:** लाइव-फायर एक्सरसाइज़, फील्ड ट्रेनिंग, फोर्स प्रेपरेशन ड्रिल, ज़मीनी युद्धाभ्यास, हवाई और समुद्री संचालन
- **नई क्षमताएँ:**
    - **UH-60M Black Hawk हेलिकॉप्टर्स**
    - **Precision Strike Missiles (PSM)**

महत्व

- यह अभ्यास **इंटरऑपरेबिलिटी** (सहयोगात्मक संचालन) को बढ़ाता है।
- **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा** सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय तैयारी को मज़बूती देता है।

SCIENCE BOOK
FREE
बुक की ख़रीद पर पाएं
100%
CASHBACK
Pathshala
Latest Edition
सामान्य अध्ययन
(General Studies)
जनरल साइंस & टेक्नोलॉजी
एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए
I'M Possible
Ankit Kumar Avasthi
BUY NOW FROM
APNI PATHSHALA APP.
पहले 7 दिन की बुकिंग पर बुक बिलकुल फ्री

GS FOUNDATION For

UPSC & STATE PSC

- ECONOMY
- POLITY
- HISTORY
- GEOGRPHY

1500X4 ~~6000/-~~

₹4500/-

- DAILY LIVE CLASSES
- WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTICE PROBLEM

COURSE VALIDITY 1 YEAR

GS FOUNDATION *For*

UPSC & STATE PSC

IF ANYONE INTRESTED IN ONLY

HISTORY

FEE ~~₹ 2000/-~~

₹1499/-

- DAILY LIVE CLASSES
- WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTICE PROBLEM

COURSE VALIDITY **1 YEAR**

GS FOUNDATION *For*

UPSC & STATE PSC

IF ANYONE INTRESTED IN ONLY

ECONOMY

FEE ~~₹ 2000/-~~

₹1499/-

- DAILY LIVE CLASSES
- WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTICE PROBLEM

COURSE VALIDITY **1 YEAR**

जानिए
भारतीय संविधान
CONSTITUTION
OF
INDIA
मात्र
1499/-Year
Enroll Now !
1 year
validity

GS FOUNDATION

Hand Written Notes

Pathshala | AI

BEST OFFER
1999Rs

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

Bilingual

By Ankit Avasthi Sir

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,

और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

MONTHLY MAGAZINE

FREE!

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

Billingual

ANKIT AVASTHI SIR

RAS FOUNDATION

HAND WRITTEN NOTES

अधिक जानकारी के लिए दिए
गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

BEST OFFER
4500 Rs

By Ankit Avasthi Sir

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
COUPON CODE
ANKIT500
Course fee
₹1999/-
Course fee
₹1499/-
Special
OFFER ON
Father's
DAY
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुआत

FOUNDATION COURSE OF MUTUAL FUND

COUPON CODE
ANKIT500

Invest in Knowledge Grow Your Wealth

Course fee
~~₹1999/-~~

Course fee
₹1499/-

Special
OFFER ON
Father's
DAY

Course Validity
1 YEAR

एक निवेश समझदारी से..

नई संस्करण
जी.ए फाउंडेशन
हैंडरिटन नोट्स
लॉन्च हो चुके हैं..
अभी खरीदें -
1999/-
(नियम और शर्तें लागू)
और पाएं साइंस की बुक फ्री (7 दिन तक)
Pathshala
भूगोल-I
भूगोल-II
इतिहास-I
इतिहास-II
अर्थव्यवस्था
भारतीय राजव्यवस्था
जनरल साइंस & टेक्नोलॉजी

CALL CENTRE

787158882

HOW MAY I HELP YOU

AnkitInspiresIndia

Download "Apni Pathshsla" app now!

Follow us: